न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 69/2019
दायर दिनांक :– 05.04.2019

अनवान

रामराज पिता सुरजा मीणा आयु वयस्क निवासी सररिया तहसील जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. पवन पिता सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
2. भरत पिता सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
3. हेमन्त पिता सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
4. बलवंत पिता सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
5. पार्वती पुत्री सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
6. सरोज पुत्री सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
7. स्नेहलता पुत्री सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
8. श्रीमति सुरजी बेवा सोहनलाल मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
9. जयकिशन पिता कल्याण मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
10. कैलाश चन्द्र पिता कल्याण मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
11. फूलसिंह पिता कल्याण मीणा निवासी सररिया तहसील जहाजपुर
12. तहसीलदार एवं उप पंजीयक जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश ::

दिनांक 13.02.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम सररिया पटवार हल्का सररिया तह. जहाजपुर मे प्रतिवादी सं. 1 से 12 के खाते मे आराजी सं. 2123 रकबा 3.03 बीघा, आ. स. 2134 रकबा 0.14 बीघा, आराजी सं. 2152 रकबा 1.17 बीघा आराजी सं. 2154 रकबा 1.05 बीघा, आराजी सं. 2157 रकबा 0.19 बीघा भूमि स्थित है। उपरोक्त समस्त आराजियात पूर्व मे चन्द्रा पिता गोमदा मीणा निवासी सररिया के नाम दर्ज थी जिसमे से 2.05 बीघा भूमि 601 रुपये नकद प्रतिफल मे प्रार्थी के पिता सुरजा पिता भूरा मीणा ने तत्कालीन खातेदार चन्द्रा पिता गोमदा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 13.07.1961 को क्रय की थी एवं कय करने की दिनांक से ही कय शुदा भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

प्राथी के पिता का कब्जा चला आ रहा था एवं प्राथी के पिता की मृत्यु के बाद से ही उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर, निर्बाध रुप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वक्त पंजीयन विक्रेता चन्द्रा पिता गोमदा भीणा ने विक्रय की कई भूमि के पडौस विक्रय पत्र मे लिखाये थे जो पूर्व मे नहर पश्चिम मे सरकारी आम रास्ता उत्तर मे हजारी भीणा को विक्रय की गई भूमि एवं दक्षिण मे भूरा भीणा की जगीन थी। उपरोक्त पडौसो के मध्य की 2.05 बीघा भूमि विक्रेता चन्द्रा पिता गोमदा भीणा ने प्राथी के पिता केता भीणा को विक्रय कर भूमि का कब्जा संभलाया था तब से ही उक्त भूमि प्राथी के पिता एवं प्राथी के कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। प्राथी के पिता सुरजा भीणा अशिक्षित होने के कारण पंजीयन कराने के बाद भूमि का खाता अपने नाम दर्ज नही करवा सके और भूमि राजस्व अधिकारियो की लापरवाही से एवं कल्याण पिता माधु भीणा की मिलिभगत से कल्याण पिता माधु भीणा के नाम दर्ज कर दी गई जिसका राजस्व अधिकारियो को कोई अधिकार नही था। यह कि प्राथी ने अपने पिता सुरजा की मृत्यु के बाद करीब एक वर्ष पूर्व उपरोक्त भूमि के खाते मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए राजस्व अधिकारियो से सम्पर्क किया तो प्राथी को जानकारी हुई कि भूमि प्राथी के पिता के नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उसके बाद प्राथी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया की उक्त भूमि प्राथी के पिता की क्रयशुदा भूमि है इस कारण प्रतिवादीगण भूमि को प्राथी के नाम दर्ज करा देवे लेकिन प्रतिवादीगण ने प्राथी के पिता की क्रयशुदा भूमि प्राथी के नाम दर्ज करवाने से साफ इंकार कर दिया और प्रतिवादीगण ने प्राथी को धमकी दी कि भूमि उनके नाम खाते मे दर्ज होने से प्रतिवादीगण भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय कर खुर्द बुर्द कर देंगे और प्रार्थी को बेदखल कर देंगे। अप्रार्थी द्वारा धमकी दिये जाने से प्रार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है यदि अप्रार्थीगण ने अपने नाम दर्ज होने से भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय आदि कर खुर्द बुर्द कर दिया तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और प्रार्थी को अपनी भूमि प्राप्त करने मे अनावश्यक मुकदमेबाजी मे उलझना पडेगा। यह कि प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि अप्रार्थीगण मूल वादपत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित भूमि को विक्रय, रहन, बंधक, बक्शीस आदि न करे, न ही प्रार्थी को उसकी क्रयशुदा भूमि से बेदखल करने का प्रयास करे न करावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरान किया।

मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवा

C:nimay//rider

Scanned with CamScanner

उपरोक्त वर्णित भूमि में वर्तमान में अप्रार्थीगण खातेदार है। प्रार्थी द्वारा यह बताया गया है की उक्त भूमि को प्रार्थी के पिता सुरजा पिता भूरा मीणा ने तत्कालीन खातेदार चन्द्रा पिता गोमदा मीणा से जरिये पंजीकृत विकय पत्र के द्वारा दिनांक 13.07.1961 को कय की गई थी। लेकिन प्रार्थी द्वारा विकय पत्र की अप्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। तथा तत्कालीन तथाकथित खातेदार चन्द्रा पिता गोमदा मीणा तथा अप्रार्थीगण का क्या सम्बन्ध था, इस बारे में प्रार्थी द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी ने विकय के समय तत्कालीन विकेता के नाम से तत्समय का राजस्व रेकार्ड/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया केस नहीं पाया गया। प्रस्तुत विकय पत्र सन् 1961 का है। अत्यधिक देरी से प्रकरण प्रस्तुत करने के कारण भी प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नही है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू का विवेचन किया जाना आवश्यक नही हैं। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13 .02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner